न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 26/2020

लुकमान पुत्र मौहम्मद इब्राहीम जाति मेव निवासी कठौल तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब पहाडी।

अप्रार्थी

2. ईस्माईल
3. जुबेर
4. दाऊद
5. शाहिद हुसैन पिसरान मौहम्मद इब्राहीम जाति मेव निवासी कठौल तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :–1. श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी

दिनांक :– 29.09.2020

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का खास भाई है प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी के हित व हक समान है। लेकिन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करते समय अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे प्रार्थना पत्र में तरतीवी अप्रार्थीगण बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1187/0.32 है0 बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। जिस पर प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण सम्मलित रूप से काबिज काश्त है और हाल में मौके पर फसल खडी हुई है एवं चारदीवारी कर रिहाहिश भी कर रखी है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने नये रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर 1187 के दो नये नम्बर खसरा नम्बर 3000/0.25, व खसरा नम्बर 4014/0.07 बना दिये है। जिनको सेटेलमेन्ट विभाग ने नक्शे में गलत दर्शाया है। जिस जगह पर हमारा कब्जा व काश्त है उस जगह पर खसरा नम्बर 4009 गैरमुमकिन खार जमाबन्दी में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

कर दिया गया है। जिस जगह पर खसरा नम्बर 3000/0.25 , 4014/0.07 दर्शाये गये है उस जगह पर प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व कब्जा काश्त नहीं है और ना ही कभी रहा है प्रार्थी की कब्जे काश्त खसरा नम्बर 4009 की जगह पर है सेटेलमेन्ट विभाग ने भली भूल की है। जिससे प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 को काफी परेशानी हो रही है। जिसे प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। अतः श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुये प्रार्थी की आराजी को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के कब्जानुसार खसरा नम्बर 4009 की जगह नक्शा में दर्शाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पहाडी को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार पहाडी ने उपस्थित न्यायालय होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1187/0.32, बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की सम्मलित काश्त व खातेदारी की आराजी है। मौके पर प्रार्थी की चारदीवारी हो रही है एवं आराजी पर फसल भी खडी हुई है। लेकिन सेटेलमेन्ट विभाग ने नये रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को दो नये नम्बर खसरा नम्बर 3000/0.25, 4014/0.07 दिये है जिन्हे नक्शे में गलत दर्शाया है और जिस जगह प्रार्थी की कब्जा काश्त है उस जगह पर नक्शे में 4009/0.32 दर्शाया है जो कि गलत दर्शाया गया है। क्योकि खसरा नम्बर 4009 गैरमुमकिन खार दर्शाया गया है। जबकि खसरा नम्बर 4009 की जगह पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी है जिसे न्यायहित में प्रार्थी को शुद्ध करवाने का अधिकार है। निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गये अनुतोष से कोई आपत्ति नहीं है।

बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1187/0.32 है0 बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। जिस पर प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण सम्मलित रूप से काबिज काश्त है और हाल में मौके पर फसल खडी हुई है एवं चारदीवारी कर रिहाहिश भी कर रखी है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने नये रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर 1187 के दो नये नम्बर खसरा नम्बर 3000/0.25, व खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

4014/0.07 बना दिये है। जिनको सेटेलमेन्ट विभाग ने नक्शे में गलत दर्शाया है। जिस जगह पर हमारा कब्जा व काश्त है उस जगह पर खसरा नम्बर 4009 गैरमुमकिन खार जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया है। जिस जगह पर खसरा नम्बर 3000/0.25 , 4014/0.07 दर्शाये गये है उस जगह पर प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व कब्जा काश्त नहीं है और ना ही कभी रहा है प्रार्थी की कब्जे काश्त खसरा नम्बर 4009 की जगह पर है सेटेलमेन्ट विभाग ने भली भूल की है। जिससे प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 को काफी परेशानी हो रही है। जिसे प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में प्रार्थी के प्रार्थना में दर्ज तथ्यों को स्वीकार करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष से कोई आपत्ति नहीं की है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी । पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार पहाडी ने अपनी रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 4014 व 3000 जो गत खसरा नम्बर 1187 से बने है पृथक–पृथक दो नम्बर बनाये गये है वर्तमान में प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 का कब्जा हाल खसरा नम्बर 4009/0.32 है0 पर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि हेतु आराजी खसरा नम्बर 4014/0.25, 3000/0.07 किता 2 को सिवायचक गैर मुमकिन खार दर्ज करते हुये प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 को आराजी खसरा नम्बर 4009/0.32 पर खातेदार दर्ज करने हेतु आदेशित किया जाता है। नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि की जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner